INDIA NON JUDICIAL

IN-UP67273195110485X

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP67273195110485X
Certificate Issued Date	:	31-May-2025 01:41 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14262504/ TAMKUHI RAJ/ UP-KSN
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14262504319432314583 20X
Purchased by	:	JAGDISH MISHRA SO LATE SHRI NAVSE MISHRA
Description of Document	:	Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description	:	MAUJA BASDILA KHURD, TEHSIL TAMKUHIRAJ, DIST KUSHINAGAR
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	SMT JANKI DEVI MEMORIAL EDUCATIONAL TRUST
Second Party	:	JAGDISH MISHRA SO LATE SHRI NAVSE MISHRA
Stamp Duty Paid By	:	JAGDISH MISHRA SO LATE SHRI NAVSE MISHRA
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	750 (Seven Hundred And Fifty only)

Please write or type below this line

PF 0006147258

... should be verified at www.shcilestamp.com or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding ...

आवेदन सं०: 202500958006584

न्यास पत्र

बही सं०: 4 रजिस्ट्रेशन सं०: 30 वर्ष: 2025

प्रतिफल- 10000 स्टाम्प शुल्क- 750 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 500 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 560

श्री जगदीश मिश्र
पुत्र श्री स्व० नवरंग मिश्र
व्यवसाय : कृषि
निवासी: ग्रा० बसडीला खुर्द पो० लक्ष्मीपुर बाबू जिला कुशीनगर आ० 677957513402

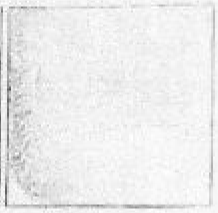

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 31/05/2025 एवं 02:24:54 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

वाईदुल्लाह प्रभारी
उप निबंधक तमकुही राज
कुशीनगर
31/05/2025

सदाशिव मिश्र
निबंधक लिपिक
31/05/2025

ट्रस्ट डीड (न्यास पत्र)

श्रीमती जानकी देवी मेमोरियलएजुकेशनल ट्रस्ट,बसडीला खुर्द, तमकूही राज , कुशीनगर

जगदीश मिश्र पुत्र स्व0 श्री नवसे मिश्र आधार नंबर 677957513402 एवं पैन कार्ड नंबर AHMPM0164Cबसडीला खुर्द, तमकुही राज कुशीनगर उत्तर प्रदेश पिन कोड 274407मोबाइल नंबर9792626111 द्वारा नवीन ट्रस्ट **श्रीमती जानकी देवी मेमोरियलएजुकेशनलट्रस्ट** कुशीनगर के न्यास पत्र का निष्पादन दिनांक 31.05. 2025 दिवस शनिवार को किया गया।

न्यास पत्र

1. ट्रस्ट / न्यास का नाम-श्रीमती जानकी देवी मेमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट ।
2. ट्रस्ट / न्यास का प्रधान कार्यालय-बसडीला खुर्द, तमकुही राज कुशीनगर।

,विशेष– ट्रस्ट/न्यास मण्डल के निर्णयानुसार प्रधान कार्यालय परिवर्तित एवं क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना किया जा सकता है

3– ट्रस्ट/न्यास का कार्य क्षेत्र– सम्पूर्ण भारत वर्ष

4– ट्रस्ट/न्यास का स्वरुप– शैक्षणिक/सामाजिक

5– ट्रस्ट/न्यास की भाषा–हिन्दी एवं अंग्रेजी

6– ट्रस्ट/न्यास का मुख्य उददेश्य– क– ट्रस्ट/न्यास द्वारा शिक्षा के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु पृथक–पृथक उप समितियाँ गठित करके पृथक–पृथक संस्थाओं का गठनोपरान्त शाखा/उप शाखा की व्यवस्था एवं संचालन करेगा एवं न्यास/ट्रस्ट द्वारा संचालित होने वाली प्रत्येक/पृथक–पृथक संस्था में उसके मूल नियन्त्रक, विश्वविद्यालय / बोर्ड / प्राधिकरण / परिषद् आदि के अधिनियम/परिनियम/ अध्यादेश एवं समय–समय पर निर्गत होने वाले समस्त आदेशों का पूर्णतया पालन किया जायेगा। (क्रमशः पन्ना–दो ख– केवल प्रबन्धक के हस्ताक्षर से ही निर्गत सदस्यता शुल्क की प्राप्तिका ही विधिमान्य होगी।

ग– पंजीकृत ट्रस्ट/न्यास मण्डल का संयुक्त निर्णय सर्वोपरि होगा।

घ– प्राइमरी से उच्च स्तर तक की हिन्दी/अंग्रेजी/संस्कृत/उर्दू माध्यम की शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना व संचालन करना।

ङ– सामाजिक विकास सम्बन्धी कार्यों को करना।

च– सम्पूर्ण भारत के सर्वांगीण विकास की गति को तेज करने हेतु जनहित से सम्बन्धित अपरिहार्य मूलभूत न्यूनतम आवश्यकताओं एवं बुनियादी सुविधाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक, अध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक मूल्यों के साथ आम जनता, संघ सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय शासन का सहयोग लेने एवं करते हुए प्राप्ति की पहल एवं क्रियान्वयन के माध्यम से कार्य कराना।

छ– शैक्षणिक विकास हेतु सुविधाओं के साथ शिक्षण प्रशिक्षण–

1. शैक्षिक, प्रशिक्षण, अनुसंधान, व्यवसायिक कोर्स इत्यादि को बढ़ावा देने हेतु स्कूलों, कालेजों, डिग्री, नर्सिंग एवं तकनीकी कालेजों अनुसंधान केन्द्रों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों के स्थापना एवं संचालन करना एवं व्यवसायिक कोर्सो के लिए प्रवेश एवं पठन पाठन हेतु सलाह मशविरा देना।

आवेदन सं०: 202500958006584

बही सं० : 1　　　　रजिस्ट्रेशन सं० : [illegible]　　　　वर्ष : 2025

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

[illegible] : 1

श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible] मिश्र

निवासी : [illegible] खुर्द पो० लक्ष्मीपुर बाबू जिला कुशीनगर आ० [illegible]

व्यवसाय : कृषि

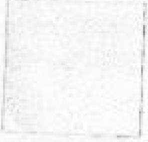

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री [illegible] कुमार पाण्डेय , पुत्र श्री [illegible] पाण्डेय

निवासी : [illegible] पो० लक्ष्मीपुर बाबू जिला कुशीनगर आ० [illegible]

व्यवसाय : कृषि

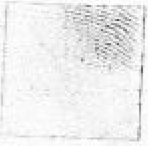

पहचानकर्ता : 2

श्री [illegible] मिश्र , पुत्र श्री [illegible] मिश्र

निवासी : [illegible] खुर्द पो० लक्ष्मीपुर बाबू जिला कुशीनगर आ० 274914582151

व्यवसाय : कृषि

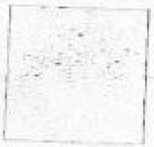

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।
टिप्पणी :

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

[illegible] , [illegible] प्रभारी
उप निबंधक : तमकुही राज
कुशीनगर
31/05/2025

सदाशिव मिश्र
निबंधक लिपिक कुशीनगर
31/05/2025

कार्यालय उप निबंधक

2. बालक, बालिकाओं के प्रारम्भिक स्तर से उच्च शिक्षा तक कानवेन्ट स्कूल, कालेज, महाविद्यालय एवं कोचिंग स्तर तक शिक्षार्थ, शिक्षा विभाग के मानकों के अनुसार संस्थानों की स्थापना कर सुसंचालित करना तथा उनके पठन पाठन की समुचित व्यवस्था करना।

3. अनौपचारिक शिक्षा प्रौढ़ पत्रकारिता व दूरस्थ पत्राचार शिक्षा केन्द्र तकनीकी शिक्षा एवं साक्षरता का प्रचार प्रसार करना एवं महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्य करना।

ज– पर्यावरण संरक्षण एवं सम्वर्द्धन– प्रदूषण रहित ग्राम एवं नगर एवं जल, जंगल, जमीन, जैव विविधता की धारणीय विकास तथा पर्यावरणीय विकास हेतु विविध कार्य करना।

झ– आर्थिक सशक्तिकरण एवं आत्म निर्भरता हेतु–

1. डेयरी फार्मिंग, जैविक कृषि, जैव तकनीकी आधारित कृषि।

2. गौ–पालन आधारित ग्रामीण एवं कृषि विकास का कार्य।

3. भू–सुधार, खाद्य प्रसंस्करण, औषधि उत्पादन आदि।

4. ग्रामाधारित कुटीर एवं लघु उद्योग आदि।

5. माइक्रो फाइनेन्स एवं वित्तीय सुविधाओं के माध्यम से।

ट– ग्राम–नगर सुशासन हेतु जागरूकता एवं पहल–

1. शिक्षण, प्रशिक्षण, सामाजिक अंकेक्षण।

2. भारतीय लोकतन्त्र के प्रति आस्था को दृढ़ करने के लिए नेतृत्व क्षमता, निर्णय निर्माण एवं प्रशासनिक कुशलता के लिए पहल।

ठ– स्वास्थ्य एवं पोषण हेतु जागरूकता एवं सुविधा की पहल–

1. जन सामान्य के स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ कराने हेतु चेरिटेबल अस्पतालों, डिस्पेन्सरियों, मोबाइल कैम्पों, नशा उन्मूलन केन्द्रों की स्थापना एवं संचालित कराना।

2. जनसंख्या के नियंत्रण हेतु परिवार कल्याण कार्यक्रमों को संचालित करना।

3. सभी को स्वास्थ्य सुलभ कराने हेतु एलोपैथिक, डेन्टल, आयुर्वेदिक, फार्मेसी कालेज, इंजिनियरिंग कालेज, आई0टी0आई0, प्राकृतिक चिकित्सा, योग संस्थान खोलना एवं इनके विकास एवं सम्वर्द्धन के लिए कार्य करना।

4. अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों के विकलांग बच्चों महिलाओं, वृद्धों का विकास और कल्याण के लिए योजनाओं का संचालन करना।

5. समाज कल्याण विभाग, केन्द्रीय एवं राज्य सलाहकार बोर्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूनिसेफ, सिफसा, सेफ इण्डिया, हैल्पेजइ इण्डिया, केयर, सूडा, डूडा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक द्वारा संचालित महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों तथा ग्रामीण एवं नगरीय विकास परियोजनाओं का प्रचार प्रसार करना।

6. उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यकतानुसार चल एवं अचल सम्पत्ति बनाना, ऋण लेना एवं देना, विनियोग करना। धन संग्रह करना जो आम जनता एवं परोपकारी संस्थानों से दान, गैर सरकारी संगठन, सरकारी एवं अर्द्ध–सरकारी संस्थानों, सार्वजनिक एवं वित्तीय संस्थानों से ऋण, ब्याज, अनुदान भेंट आदि से प्राप्ति।

7– विशेष उद्देश्य–

1. राष्ट्र में स्थित व्यक्तिगत सम्पत्ति एवं संस्थानों की सुरक्षा कार्य में सहयोग करना।

2. प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बालक/बालिकाओं हेतु हिन्दी, अंग्रेजी, वाणिज्य, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी शिक्षा प्राइमरी, जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट तथा महाविद्यालयों के अतिरिक्त उच्च स्तर तक की शिक्षा का प्रबन्ध करना विशेषकर ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में विद्यालयों, कन्या विद्यालयों/महाविद्यालयों/कन्या महाविद्यालयों एवं इंजनियरिंग एवं नर्सिंग कालेज, विकलांग, एवं मूक बधिर विद्यालय की स्थापना करना एवं बालक/बालिकाओं के लिए आवासीय छात्रावास का प्रबन्ध कराना।

3. शिक्षा हेतु सुविधा प्रदान कर बालक/बालिकाओं का सच्चरित्र नागरिक बनाना एवं सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0सी0/यू0पी0/मदरसा/संस्कृत बोर्ड/संस्कृत महाविद्यालय/महाविद्यालयों के नियमानुसार हिन्दी/अंग्रेजी/उर्दू माध्यम की विद्यालयों की स्थापना कराना।

4. समाज के सामान्य, पिछड़े, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की बालकों/बालिकाओं हेतु शिक्षण एवं प्रशिक्षण जैसे– कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर, डी0टी0पी0, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेन्टिंग, फल संरक्षण, रेक्सीन कला, गृह सज्जा, आचार, मुरब्बा, माचिस, पत्तल, अगरबत्ती, मसाला, ब्यूटी पार्लर से सम्बन्धित प्रशिक्षण कराना।

5. खादी ग्रामोद्योग, खादी कमीशन बोर्ड, हस्तकरघा, हस्तशिल्प कला, चमड़ा उद्योग, रेक्सीन कला से सम्बन्धित कार्यक्रमों की जानकारी देना तथा समाज के निर्बल एवं बेरोजगार लोगो के उत्थान हेतु उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी व ग्रामोद्योग आयोग द्वारा संचालित कार्यक्रमों को सफल बनाने का प्रयास करना।

6. ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों के विकास हेतु स्वच्छ स्वजल धारा, पेयजल, नाली, सीवर, की निःशुल्क व्यवस्था कराना व मलिन बस्तियों की सफाई के कार्यों में सहयोग प्रदान करना एवं सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान का प्रचार प्रसार निःशुल्क कराना।

7. नाट्यमंच व चलचित्र द्वारा लोगो को शिक्षा के बारे में निःशुल्क ज्ञान प्रदान कराना एवं धार्मिक/साहित्यिक पुस्तकों का निःशुल्क वितरण एवं प्रचार प्रसार कराना।

8. समाज को साक्षर बनाने के लिए सर्वशिक्षा, शिक्षा गारन्टी योजना एवं शिक्षा कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार कराना।

9 ट्रस्ट/न्यास के माध्यम से संगीत, सांस्कृतिक, धार्मिक, कार्यक्रमों का आयोजन कराना।

10 शारीरिक तथा मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियों एवं विकलांगो हेतु कल्याणकारी कार्यों का सम्पादन कराना एवं इन लोगो के रहने हेतु नि:शुल्क आश्रम का प्रबन्ध कराना।

11 विकलांग बालक/बालिकाओं के शिक्षा का प्रबन्ध कराना एवं नि:शुल्क कृत्रिम अंग प्रदान कराने का प्रयास करना।

12 लाइसेंस लेकर पेट्रोलियम पदार्थो की बिक्री एवं भंडारण करना । जैसे पेट्रोल पम्प इत्यादि ।

13 ट्रस्ट/न्यास के माध्यम से सामान्य, पिछड़े, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बालक/बालिकाओं हेतु शिक्षा के साथ-साथ तकनीकी शिक्षण प्रदान कराना एवं औद्योगिक क्षेत्र में विकास के कार्य कराना।

14 कृषि विकास हेतु कृषि से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का प्रचार प्रसार कराना, आधुनिकतम व विकसित तकनीकी माध्यम से कृषि एवं पशु-पालन व दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना।

15 औषधि कार्यों के लिए जड़ी-बुटियों, जैविक खेती के बारे में लोगो को जानकारी देना एवं जैविक खाद विस्तार कार्यक्रम के द्वारा जैविक खेती एवं ग्रामीण बेरोजगार, नव युवको को स्व-रोजगार के लिए प्रेरित करना।

16 परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य कार्यक्रमो को गावो में व्यापक स्तर पर नि:शुल्क संचालित करना यथा-टीकाकरण, पल्स-पोलियो, हेपेटाईटिस, फाईलेरिया, मलेरिया, क्षय रोग, एड्स, कैंसर, टी०बी० व कुछ क्षेत्रीय बिमारियों के रोकथाम के लिए प्रचार-प्रसार कराना व जानकारी देना तथा नि:शुल्क दवाओं का वितरण कराना, प्रदेश के विभिन्न जनपदों में नि:शुल्क चिकित्सालयों की स्थापना कराना तथा मानव कल्याण हेतु प्रत्येक प्रकार की नि:शुल्क चिकित्सा, स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार नि:शुल्क कराना, रेडक्रास सोसायटी की योजनाओं के जन-साधारण को जानकारी मुहैया कराना, नि:शुल्क होम्योपैथिक एवं युनानी चिकित्सालय स्थापित कराना, दृष्टिहीन, मूक बधिर विद्यालयों की स्थापना करना एवं नि:शुल्क नेत्र चिकित्सालयों, नेत्र दान, रक्तदान हेतु कैम्प लगवाना एवं भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए प्रयास करना, कुष्ठ रोगियों की सेवा करना एवं सरकार से अनुमति लेकर कुष्ठाश्रम की स्थापना करना।

17 समाज में व्याप्त छुआ-छुत, ऊँच-नीच तथा जाति-धर्म की विषमता को समाप्त करने लिए व्यापक प्रचार-प्रसार कराना तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के संवैधानिक अधिकारों की जानकारी देना एवं विधिक सहायता के लिए शिविरों का आयोजन कराना।

18. शराब व मादक पदार्थो का सेवन करने वालों की आदत छुड़ाने के लिए सरकार के कार्यक्रमों के अनुसार नशा उन्मूलन एवं पुनर्वास केन्द्र स्थापित कराना।

19 शिक्षा की सुविधा प्रदान कर बालक/बालिकाओं को सच्चरित्र नागरिक बनाना।

20. जल-संरक्षण, जल संचयन, जलचक्र व जल संसाधन तथा स्व-जलधारा सम्बन्धित सभी कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार कराना तथा जल प्रदूषण के खिलाफ राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, शोध केन्द्रों की स्थापना कराना।

21. भेड़, बकरी, मुर्गी पालन को बढ़ावा देना एवं इसको पालने के बारे में लोगो को जानकारी देना एवं पशुओं को रखने के लिए पशुबाड़ा की स्थापना कराना।

22. दैवी आपदा, यथा-बाढ़, भूकम्प, सूखा, हैजा, प्लेग, महामारी इत्यादि विभिन्न बीमारियों एवं कठिनाइयों में शासन व प्रशासन का सहयोग से जन-साधारण की प्रत्येक प्रकार से सेवा करना।

23. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय, युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय, मनरेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालयों एवं अन्य मंत्रालयों तथा उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार व अन्य राज्यों की सरकारों और विदेशी संगठनों के द्वारा चलायी जाने वाली योजनाओं की जानकारी सम्पादित कराना।

24. सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य, म्यूजिक, नाट्य के कार्यक्रमों की नि:शुल्क जानकारी देना।

25. निर्धन तथा कमजोर वर्ग के बालिकाओं के लिए नि:शुल्क छात्रावास तथा पुस्तकालय का प्रबन्ध करना।

26. खेलों का बढ़ावा देना खेलों के प्रति गाँवों एवं शहरों में अभिरुचि पैदा करने के लिए खेल प्रतियोगिता का आयोजन करना एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित व पुरष्कृत करना व अखाड़े का संचालन कराना।

27. सीमा क्षेत्र के इलाकों के विकास के लिए कार्य करना, वैकल्पिक उर्जा के बारे में जानकारी देने का प्रयास करना।

28. दहेज प्रथा, अंधविश्वाश एवं सामाजिक कुरीतियों को दुर करने का प्रयास करना।

29. बाल विकास व बाल चिकित्सा हेतु युनिसेफ, आइ०यल०ओ०, यूनोडो, सिडबी, नवार्ड, कपार्ट, यूनिफेम एवं अन्य सरकारी/गैर सरकारी एवं सामाजिक संस्थानों के माध्यम से जानकारी प्राप्तोपरान्त योजनाओं का प्रचार व प्रसार करना एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय से सम्बन्धित कार्यक्रमों की जानकारी देना।

30. सरकार से अनुमति लेकर नर्सेज ट्रेनिंग एवं अध्यापन ट्रेनिंग विद्यालयों की स्थापना कराना।

31. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित सभी कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार कराना एवं विज्ञान भवनों की स्थापना कराना।

32. विकलांगों के लिए शिक्षा का प्रबन्ध कराना, विद्यालय, आश्रम-पद्धति विद्यालय एवं आवासीय/गैर आवासीय विद्यालयों व शोध संस्थानों की स्थापना करना एवं नि:शुल्क संचालन कराना।

33. प्रत्येक नागरिक के उपयोग के लिए धमार्थ कम्यूनिटी हॉल, वैवाहिक गृह, वृद्धाश्रम, महिलाश्रम, अनाथालय, प्याउ, वाचनालय, पुस्तकालय, धमार्थ डिस्पेन्सरी एवं नि:शुल्क स्टूडियो, रात्रि निवास, शार्ट-स्टे-होम, मूक-बधिर कल्याण हेतु समस्त कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार कराना।

34. बालिकाओं/महिलाओं से सम्बन्धित यौन प्रहार/आक्रमण की रोकथाम हेतु युवतियों को आवश्यक जानकारी प्रदान करना, अविवाहित माता, विधवा, पारिवारिक हिंसा/दहेज प्रथा, दहेज पीड़ित इत्यादि से मुक्ति दिलाने का प्रयास करना एवं गरीब/असहाय लड़कियों की शादी कराने में मदद प्रदान करना एवं सामूहिक विवाह में सहायता प्रदान करना।

35. प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित सामग्रियों का समुचित प्रबन्धन करते हुए पर्यावरण के अनुकूल जीवन पद्धति विकसित करना।

36. स्वयं सहायता समूहों का गठन करके रोजगार के अवसर की जानकारी कराना व स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना के तहत जानकारी देना, सरकार की स्वरोजगार परक योजनाओं में सहायता प्रदान कर शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों/नवयुवतियों को रोजगार की जानकारी प्रदान कराना।

37. वन-सम्पदा के दोहन को रोकने हेतु प्रोत्साहित करना एवं पर्यावरण के गुणों के बारे में जानकारी देना।

38. समाज के सभी वर्ग के लोगों को अध्यात्मिक, सामाजिक व शिष्टाचार का ज्ञान प्रदान करने के लिए योग्य व्यक्ति का सहयोग प्राप्त करना एवं इसका प्रचार-प्रसार करना।

39. गौशाला का निर्माणोपरान्त पशु-पक्षियों की सेवा करना तथा अवैधानिक तरीके से पशु-पक्षियों का शिकार करने वालों पर रोकने के उपरान्त जीव-जन्तुओं के कल्याणार्थ कार्य कराना।

40. प्राकृतिक पर्यावरण का सन्तुलन बनाने के लिए धरोहर की रक्षा करना तथा अधिक से अधिक वृक्षारोपण कराना एवं विभिन्न प्रकार के प्रजातियों के पौधों का उत्पादन कराना व बागवानी कराना।

41. देश-विदेश के विद्यार्थियों, बौद्ध भिक्षुओं, व्यापारियों व किसानों के ठहरने हेतु धर्मशालाओं की व्यवस्था कराना एवं उसकी निःशुल्क व्यवस्था व संचालन कराना।

42. उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार कराना।

43. अल्पसंख्यक बालक/बालिकाओं के लिए सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का बोध कराना।

44. देश में बढ़ती जनसंख्या, बेरोजगारी तथा भिक्षावृत्ति को रोकना एवं दुर्बल वर्ग के सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक विकास के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास करना।

45. ट्रस्ट/न्यास के माध्यम से बालक/बालिकाओं को कला, चित्रकला, मूर्ति कला, काष्ठकला का प्रशिक्षण प्रदान कर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।

46. निर्धन एवं कमजोर वर्गों के लोगों के जीवन स्तर को उठाने का कार्य करना।

47. क्षेत्र के लोगों में सामाजिक नैतिक तथा स्वावलम्बन की भावना उत्पन्न करना एवं योग द्वारा मानसिक शारीरिक एवं अध्यात्मिक विकास करना।

48. विकलांग, नेत्रहीन एवं बधिर तथा शारीरिक रुप से विकलांग निराश्रित व्यक्तियों के भरण पोषण हेतु व्यवस्था करना तथा विकलांगों के कताई बुनाई शिल्पकारी का प्रशिक्षण दिलाना, आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास एवं अनाथाश्रम की स्थापना करना। उक्त आवासीय विद्यालय में शिक्षा आश्रालय, निःशुल्क चिकित्सा, उच्च विद्यालय, भोजन वस्त्र की व्यवस्था करना तथा विकलांगों को चलने के लिए तीन पहिया साइकिल सुनने के यंत्र, कृत्रिम अंग, लकड़ी का यंत्र की व्यवस्था करना।

49. आधुनिक शिक्षा प्रणाली जैसे कम्प्यूटर, इलेक्ट्रानिक टाइपिंग, मैनुअल टाइपिंग, शार्टहैण्ड की प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा संचालन करना।

50. ट्रस्ट/न्यास द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम चलाना, साहित्यिक विचार गोष्ठी करना, नृत्य रंगमंच का निर्माण करना, साज सज्जा उपलब्ध कराना, नाटक के पात्रों को प्रशिक्षित करना एवं संचालन करना।

51. स्वर्ण रोजगार योजना के तहत स्वयं सहायता समूह की स्थापना करना एवं बचत की भावना जागृत करना। स्वयं सहायता समूह को प्रशिक्षित कराकर जानकारी देना।

जीव जन्तुओं की रक्षा के लिए प्रचार प्रसार करना। पक्षियों के लिए पक्षी बिहार की स्थापना करना, गोबध को रोकने का गोशाला की स्थापना करना तथा गोबर से कृत्रिम खाद बनाना।

52. वाचनालय, पुस्तकालय, चिकित्सालय की स्थापना एवं संचालन करना।

53. भिन्न भिन्न स्थानों पर बालक/बालिकाओं के माध्यमिक एवं संस्कृत विद्यालय/महाविद्यालयों तथा उच्चतर विद्यालय की स्थापना करना। व्यवसायिक विद्यालय को स्थापित करना।

54. मातृ शिशु कल्याण केन्द्र बाल वाणी, राष्ट्रीय महिला कोष, सी0बी0एन0 बार्ड, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि आदि के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना।

55. बागवानी बोर्ड के कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना।

56. परिवार नियोजन, मद्यनिषेध, एड्स जैसी भयंकर रोग के बचाव हेतु प्रचार प्रसार करना। निःशुल्क पन्द्रह बेड तथा तीस बेड की हास्पिटल की व्यवस्था करना। सदहेज उन्मूलन व नारी उत्पीड़न की रोकथाम हेतु कार्यक्रम चलाना तथा क्रियान्वयन करना।

57. ट्रस्ट/न्यास द्वारा ग्रामीण विकास तथा जन कल्याण के लिए पेय जल सड़कों की मरम्मत आवास निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रों में शासक शौचालय, निःशुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों को क्रियान्वयन करना।

58. प्रौढ़ महिलाओं के लिए साक्षरता की सहायता से आवासीय विद्यालय स्थापित करना। व्यवसायिक प्रशिक्षण दिलाना, बच्चों के पालन घर की व्यवस्था करना, लघु उद्योग की स्थापना करना, हास्टल की व्यवस्था करना।

59. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, पिछड़ी जाति, निराश्रित बच्चों, बालक/बालिकाओं तथा महिलाओं के लिए आवासीय विद्यालय की व्यवस्था करना, शिक्षण देना। व्यवसायिक प्रशिक्षण देना, तकनीकी विद्यालय की प्राविधिक शिक्षा माध्यम से खोलना, छात्रों के छात्रवृत्ति दिलाना, भरण पोषण के आवास, भोजन, वस्त्र तथा मनोरंजन के लिए पार्क की निःशुल्क व्यवस्था करना, भिक्षावृत्ति का निवारण में सहयोग करना।

60. ट्रस्ट/न्यास द्वारा मुस्लिम ईसाई, सिख, बौद्ध पारसी, अन्य समुदाय के धर्मों के लिए विद्यालय खोलना, निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति दिलाना, अरबी, फारसी मदरसों तथा पुस्तक, लेखन सामग्री, काष्ठोपकरण का प्रशिक्षण दिलाना, हास्टल का निर्माण करना, माध्यमिक तथा व्यवसायिक शिक्षण दिलाना, कम्प्यूटर द्वारा साक्षर बनाना तथा वाचनालय की व्यवस्था करना।

61. बाल विकास सेवा तथा माता तथा बच्चों के लिए निःशुल्क पोषाहार प्रतिमाह, स्वास्थ्य जाँच, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा गर्भवती महिलाओं/ के स्वास्थ्य जाँच शिशु मृत्यु दर कम करना तथा बच्चों को तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत भोजन का वितरण करना, फल दुग्ध का वितरण करना। पौष्टिक आहार का वितरण बाल सदन तथा प्राथमिक विद्यालय की स्थापना करना, माताओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण देना, निःशुल्क चिकित्सा करना, किशोर तथा किशोरियों की जातीय/अन्तर्जातीय विवाह की व्यवस्था करना।

62. ट्रस्ट/न्यास द्वारा मनोविज्ञान पद्धति को लागू करना, ध्यान सिखाना।

63. ट्रस्ट/न्यास के द्वारा पर्यटन/देशाटन की सुविधा उपलब्ध कराना, आयुर्वेदिक औषधि युक्त पौधों का उगाना, वृक्षारोपण करना, बौधगत का निर्माण करना, धर्मशाला की व्यवस्था करना, बौद्ध भिक्षुओं के लिए निःशुल्क चिकित्सा, भोजन आवास, मनोरंजन का निर्माण करना, धर्मार्थ उपदेश देना।

64. कुष्ट रोग से पीड़ित व्यक्तियों को समाज से रहने का अलग आवास की व्यवस्था करना, दवा, भोजन, पानी घर, चलने के यंत्र निःशुल्क समाज से जानकारी मुहैया कराना, इनके लिए उचित मार्गदर्शन करना।

65. ट्रस्ट/न्यास के द्वारा कताई बुनाई, चर्म उद्योग, शिल्पकला, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग की स्थापना करना तथा प्रशिक्षण देना। प्रौढ़ एवं नवयुवकों बालक/बालिकाओं को शिक्षा देना, साथ ही स्वालम्बन की भावना को विकसित करना।

66. ट्रस्ट/न्यास द्वारा परिवार कल्याण के अन्तर्गत परिवार नियोजन लागू करना, निःशुल्क चिकित्सा करना।

67. ट्रस्ट/न्यास द्वारा कृषि से सम्बन्धित सभी आवश्यक चीजें जैसे रासायनिक खाद, पानी, उसर भूमि सुधार, कृषि यंत्रों को उपलब्ध करना, बीजों का वितरण में सहयोग का कार्य करना, जिससे किसानों को लाभ मिल सके तथा जीवन में सुख सुविधा एवं सुधार हो सके तथा कृषक बन्धुओं को समाज में सम्मान का आदर्श जीवन जीने का सुविधा हो, ट्रस्ट/न्यास के द्वारा इस कार्य के लिए अधिक प्रयास करते रहना।

68. ट्रस्ट/न्यास द्वारा गौशाला स्थापित करना, गौवध को रोकना, दुग्ध विकास योजना के चलाना, पशुओं के लिए कृत्रिम गर्भादान की व्यवस्था करना, नस्ल सुधार, पशु रोग एवं महामारी प्रकोप की निःशुल्क चिकित्सा के माध्यम से रोकना। पशु चिकित्सालय की स्थापना करना। पक्षियों के रहने के लिए भूमि की व्यवस्था करना।

69. धर्म शिक्षा निदेशालय बोर्ड द्वारा संचालित अभियान के श्रम रोजगार का कैम्प शिविर लगाकर शिक्षा का प्रसार करना, वर्ग मजदूरी उचित रुप में दिलाना, श्रमिक वर्ग के लोगों के संगठित करके उनमें एकता की भावना का विकास करना।

70. ट्रस्ट/न्यास द्वारा ग्राम सभाओं को नियोजित करके पंचायत भवन, सुलभ शौचालय, सफाई अभियान को चलाना।

71. संस्थ निर्माणार्थ ग्राम भूमि समिति/चकबन्दी से भूमि प्राप्त करना।

72. ट्रस्ट/न्यास द्वारा प्राकृतिक आपदाओं में समाज के सेवा करना, निर्धन परिवारों को भोजन, वस्त्र तथा रोगियों का निःशुल्क दवा का वितरण करना आदि ट्रस्ट/न्यास का प्रमुख कार्य होगा।

73. कपार्ट एवं राज्य समाज सलाहकार बोर्ड एवं खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के विकास के कार्यों को संचालित कराना।

74. ट्रस्ट/न्यास द्वारा पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए वृक्षारोपण करना तथा पौधों को उगाना, वनकटाव पर नियंत्रण करना तथा समाज का विकास कराना।

75. गवर्नमेन्ट फूड साइन्स ट्रेनिंग सेन्टर द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करके योग्य उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देना, महिलाओं तथा पिछड़ी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदिवासी जातियों को रोजगार की जानकारी देना।

76. भारतीय जनजाति/अनुसूचित जाति/पिछड़ी जातियों को ट्राईपेड योजना के अन्तर्गत समस्त जानकारी देना।

77. फलोद्यान योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर बेरोजगारों को प्रशिक्षण देना तथा फल द्वारा निर्मित सामानों का विपणन की व्यवस्था करना तथा रोजगार की जानकारी देना एवं ट्रस्ट/न्यास द्वारा रेशम, मधुपालन उत्पादन कराना।

78. ट्रस्ट/न्यास द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों से मत्स्य पालन विभाग की अनुमति में करना तथा सरकार के सहयोग से कार्य करना।

79. ट्रस्ट/न्यास द्वारा एड्स का प्रचार प्रसार करना, एड्स रोकथाम पर शिक्षा दिलाना।

80. ग्रामीण/नगरीय एवं शहरी क्षेत्रों ट्रस्ट/न्यास को स्थापित कर पूर्वांचल के पिछले बालक, बालिकाओं एवं अनाथ गरीब बच्चों की उन्नयन, उत्थान एवं विकास हेतु मकतबों/मदरसों/प्राइमरी पाठशालाओं सहित इण्टरमीडिएट एवं स्नातकोत्तर विद्यालयों को या फिर सेमीनारों या गोष्ठियों के माध्यम से शिक्षा प्रदान कराना। ट्रस्ट/न्यास निर्बल एवं असहाय बच्चों को प्राथमिकता देगी। आवश्यकतानुसार ट्रस्ट/न्यास बालक/बालिकाओं को अनेक प्रकार का तकनीकी प्रशिक्षण एवं खेल प्रशिक्षण कराना।

8-- प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों/सदस्यों के नाम, पता, पद एवं व्यवसाय--

क्रमांक	नाम एवं पिता का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	पता	पद	व्यवसाय
1.	अमित नंदन मिश्र	378820610575	ARIPM3161B	2/213 विनम्र खण्ड निकट लखनऊ पब्लिक स्कूल, गोमतीनगर	अध्यक्ष	चिकित्सक
2.	जगदीश मिश्र	677957513402	AHMPM0164C	बसडीला खुर्द, तमकुही राज कुशीनगर	प्रबंधक	राजनीतिज्ञ
3.	संध्या मिश्रा	504802842228	ARDPM5651P	2/213 विनम्र खण्ड निकट लखनऊ पब्लिक स्कूल, गोमतीनगर	कोषाध्यक्ष	चिकित्सक

विशेष--ट्रस्ट/न्यास की प्रारम्भिक सम्पत्ति रुपये दस हजार मात्र है।

9-- ट्रस्ट/न्यास की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग--

आजीवन/विशिष्ट सदस्य-- श्री जगदीश मिश्र, श्री अमित नंदन मिश्र, एवं श्री संध्या मिश्रा के वंश परम्परानुसार प्रथम वंशज या उनके द्वारा नामित उनके पुत्र /पुत्री ही ट्रस्ट/न्यास के स्वतः आजीवन/विशिष्ट सदस्य होंगे। केवल आजीवन/विशिष्ट सदस्य ही अध्यक्ष, प्रबन्धक/ सचिव एवं कोषाध्यक्ष पद के पदाधिकारी होंगे। संयुक्त रुप से मुख्य ट्रस्टीयों द्वारा पंजीकृत ही विलेख के माध्यम से ही नवीन ट्रस्टी बनाये जायेंगे ।

सामान्य/साधारण सदस्य-- ट्रस्ट/न्यास द्वारा संचालित ट्रस्ट/न्यास न्तर्गत शासनादेशानुसार ट्रस्ट/न्यास के विधिक प्रबन्धक द्वारा निर्गत सामान्य/साधारण सदस्य की सदस्यता शुल्क की प्राप्तिका के आधार पर साधारण वार्षिक सदस्य होंगे।

सदस्यता की समाप्ति--ट्रस्ट/न्यास के सामान्य/साधारण वार्षिक सदस्यों की सदस्यता की समाप्ति निम्न आधारों पर समाप्त मानी जायेगी।

1. किसी सदस्य की अचानक मृत्यु हो जाने पर।
2. किसी सदस्य के पागल/दिवालिया होने पर।
3. किसी सदस्य के न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।
4. ट्रस्ट/न्यास के प्रति अनाधिकार कार्य करने पर।
5. सदस्यता से त्याग--पत्र देने पर।
6. ट्रस्ट/न्यास के कई लगातार बैठकों में अकारण अथवा सूचना देने पर भी अनुपस्थित रहने पर।
7. ट्रस्ट/न्यास मण्डल की बहुमत से किसी कारण वश निस्कासित किये जाने पर।
8. ट्रस्ट/न्यास की वार्षिक सदस्यता शुल्क न जमा करने पर।

11-- ट्रस्ट/न्यास के अंग-- ट्रस्ट/न्यास के निम्न दो अंग होंगे।

अ-- साधारण सभा ब--प्रबन्धकारिणी समिति

12-- साधारण सभा--

गठन-- ट्रस्ट/न्यास मण्डल के समस्त सदस्य साधारण सभा के सदस्य होंगे।

बैठक-- सामान्यतया ट्रस्ट/न्यास की साधारण सभा की बैठक वार्षिक होगी तथा अध्यक्ष/प्रबन्धक की अनुमति से ट्रस्ट/न्यास की बैठक आवश्यकतानुसार होगी।

सूचना अवधि-- ट्रस्ट/न्यास के साधारण सभा का सामान्य बैठक की सूचना कम से कम सात दिन पूर्व तथा विशेष आवश्यक बैठक की सूचना तीन दिन पूर्व सभी सदस्यों को व्यक्तिगत लिखित नियमित रुप से दिया जायेगा।

गणपूर्ति--संस्था की साधारण सभा की सामान्य रुप से समस्त बैठक की गणपूर्ति संस्था के कुल सदस्यों की दो तिहाई सदस्यों की उपस्थिति में पूरी मानी जायेगी, कोरम के अभाव में बैठक स्थगित कर दिया जायेगा। कोरम के अभाव में स्थगित बैठक के पश्चात निर्धारित बैठक में कोरम के गणपूर्ति की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

13-- साधारण सभा के कर्तव्य एवं अधिकार--

1. प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन करना।
2. ट्रस्ट/न्यास का वार्षिक बजट पास करना।
3. संशोधन 2/3 बहुमत से पास करना।
4. ट्रस्ट/न्यास की चल/अचल सम्पत्ति की देखभाल करना।
5. किसी भी सदस्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही सम्पादित करना।
6. पद सृजन प्रस्तावित किया जाना।

14– प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य–

1. ट्रस्ट/न्यास के हित में सभी प्रकार के प्रयत्न करना।
2. ट्रस्ट/न्यास का वार्षिक बजट तैयार करना।
3. ट्रस्ट/न्यास का वार्षिक रिपोर्ट पास करना।
4. उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय, सरकारी/गैर सरकारी संस्थानों खादी ग्रामोद्योग, सामाजिक व्यक्तियों से दान, ऋण व अनुदान प्राप्त करना।
5. प्रबन्ध समिति द्वारा प्रस्ताव करके उद्देश्यों में परिवर्तन एवं परिवर्धन, संशोधन कराना।
6. आजीवन सदस्यों में से ही पदाधिकारियों का चुनाव किया जायेगा।
7. सामाजिक कार्यों का संचालन करना।

15– प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य–

अध्यक्ष–
1. बैठकों का बुलाना एवं अनुमोदन करना।
2. बैठकों में शान्ति व्यवस्था करना।
3. सभी बैठकों की अध्यक्षता करना।
3. सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कराना।
4. बैठकों का दिनांक, स्थान एवं समय निर्धारित करना।
5. बैठकों की प्रत्येक कार्यवाही को कार्यवाही रजिस्टर पर अंकित करना।

प्रबन्धक–
1. ट्रस्ट/न्यास के समस्त कार्यों की देखरेख करना।
2. उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सरकारी/गैर सरकारी संस्थानों से दान,ऋण व अनुदान प्राप्त करना।
3. संस्थानों से चन्दा लेना एवं उसकी रसीद काटकर देने का एक मात्र सर्वाधिकार प्रबन्धक का ही होगा। प्रबन्धक द्वारा निर्गत सदस्यता शुल्क की प्राप्तिका ही मान्य होगी।
4. सदस्यता की रसीद केवल प्रबन्धक के हस्ताक्षर से ही निर्गत की जायेगी।
5. कर्मचारियों कि नियुक्ति, पदोन्नति, निष्कासन एवं निलम्बन करना।
6. शिक्षण एवं प्रशिक्षण से सम्बन्धित समस्त कार्यों का करना।
7. अनुशासन बनाये रखने का प्रयास करना।
8. राष्ट्रीयकृत बैंक खातों का एकल संचालन करना।
9. समस्त अभिलेखों एवं प्रपत्रों को सुरक्षित रखना।
10. आवश्यक पड़ने पर ट्रस्ट/न्यास के कार्यों एवं लेखो की जॉच करना।
11. पदाधिकारीयों/कर्मचारियों के गलत कार्य करने पर उन्हे दण्डित करना एवं ट्रस्ट/न्यास से निष्कासित करने का अधिकार प्रबन्धक का होगा।
12. ट्रस्ट/न्यास के चल/अचल सम्पत्ति का देखभाल करना।
13. शासन के नियमावली के अनुसार अध्यापकों एवं कर्मचारियों की छुट्टियॉ निर्धारित करना।
14. सामान्य मत होने पर अपना निर्णायक मत देना।
15. बैठकों का बुलाना एवं अनुमोदन करना।
16. शासन एवं प्रशासन के कार्यों में सहयोग प्रदान करना एवं सहयोग प्राप्त करना।

कोषाध्यक्ष–
1– ट्रस्ट/न्यास के लिए धन एकत्रित करना।
2– ट्रस्ट/न्यास के कोष को किसी मान्यता प्राप्त बैंक या पोस्ट ऑफिस में ट्रस्ट/न्यास के नाम जमा कराना।
3– ट्रस्ट/न्यास के आय–व्यय का लेखा–जोखा तैयार कराना।
4– ट्रस्ट/न्यास के आय–व्यय का लेखा–जोखा तैयार करना एवं साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।

16– ट्रस्ट/न्यास के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया–ट्रस्ट/न्यास के नियमों एवं विनियमों में संशोधन /परिवर्तन ट्रस्ट/न्यास मण्डल के निर्णयानुसार स्मृति पत्र एवं नियमावली के नियमों एवं विनियमों में संशोधन/परिवर्तन/परिवर्धन पंजीयन के माध्यम से किया जायेगा।

17– (क) ट्रस्ट/न्यास का कोष– ट्रस्ट/न्यास का कोष किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीयकृत बैंक में ट्रस्ट/न्यास के नाम से खोला जायेगा, जिसका संचालन प्रबन्धक/सचिव व कोषाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।
(ख) ट्रस्ट की प्रारम्भिक सम्पत्ति–ट्रस्ट की प्रारम्भिक सम्पत्ति रु0 दो लाख मात्र है।

18– ट्रस्ट/न्यास के आय–व्यय के लेखा का परिक्षण (आडिट)– ट्रस्ट/न्यास के सम्पूर्ण वर्ष के आय–व्यय का आडिट ट्रस्ट/न्यास मण्डल की अनुमति से किसी मान्यता प्राप्त आडिटर द्वारा करवाया जायेगा।

19– ट्रस्ट/न्यास द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाहियों के संचालन का उत्तरदायित्व– आदलती कार्यवाही को ट्रस्ट/न्यास द्वारा अथवा उसके विरुद्ध होने वाले मुकदमों की पैरवी सक्षम न्यायालय में सुलझाये जायेंगे एवं समस्त मुकदमें वाद–प्रतिवादों की न्यायिक कार्यवाही के उत्तरदायित्वों की सम्पूर्ण जिम्मेदारी एकमात्र प्रबन्धक की होगी।

20– ट्रस्ट/न्यास के अभिलेख–
1. सदस्यता रजिस्टर 2. कार्यवाही रजिस्टर 3. सूचना रजिस्टर 4. स्टाक रजिस्टर 5. कैश–बुक

21– ट्रस्ट/न्यास का विघटन–

ट्रस्ट/न्यास मण्डल के संयुक्त निर्णयानुसार विधिक रुप से भूमि–भवन एवं परिसम्पत्तियों के विघटन की कार्यवाही की सम्पादित की जायेगी।

22– अन्य शर्तों की घोषणा– मै इस न्यास पत्र द्वारा घोषित करता हूँ कि **श्रीमती जानकी देवी मेमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट,बसडीला खुर्द , तमकूही राज , कुशीनगर** ट्रस्ट/न्यास मण्डल की स्वत्वाधिकार प्राप्त परिसम्पत्ति आदि न्यास पत्र के पंजीयन एवं दिनॉक आंतरिक न्यास मण्डल में निहित हो गए है। समस्त न्यासी इस सम्पत्ति का प्रयोग सम्वर्द्धन, विनियोजन, न्यास की उपरोक्त लिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करेंगे। समस्त पंजीकृत न्यासियों का संयुक्त निर्णय ही सर्वोपरि होगा।

(१०)

धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय

साक्षीगण–

1. धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय पुत्र श्री राम जी पाण्डेय
ग्रा. पनसरवा पो.- लक्ष्मीपुर बाबू, कुशीनगर
मो.- 7838371001
आधार नं.- 207317877367

2. जयराम मिश्रा पुत्र श्री मुरली मिश्रा
ग्रा बसडीला खुर्द पो० लक्ष्मीपुर बाबू
मो० 9984959895
आधार नं. 274914582151

जयराम मिश्रा

लेखन तिथि–31.05.2025

लेखक– आलोक कुमार पाण्डेय
(लेखक)

आवेदन सं०: 202500958006584

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 36 के पृष्ठ 185 से 204 तक क्रमांक 30 पर दिनांक 31/05/2025 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

वाईदुल्लाह , खा प्रभारी
उप निबंधक : तमकुही राज
कुशीनगर
31/05/2025